

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 433] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 1978/भाद्र 31, 1900
No. 433] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 1978/BIADRA 31, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1978

क्र० आ० 564(अ) :—नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) नियम, 1960 के नियम 4 के साथ पठित व्यापारपोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, कम्पनी कार्य विभाग में भारत सरकार के संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार श्री एस० के० राय को तत्काल नौवहन विकास निधि समिति का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन और संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग-परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा० आ० 628, दिनांक 17 मार्च, 1959 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—
उक्त अधिसूचना में,

क्रम संख्या 5 और तत्संबंधी प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात् :—

‘श्री एस० के० राय, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार, भारत सरकार विधि कार्य विभाग, विधि कार्य, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय।’

[सं० एमएसडी(67)/78-एमडी]

बी० बी० महाजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 1978.

S.O. 564(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with Rules 4 of the Shipping Development Fund Committee (General) Rules, 1960, the Central Government hereby appoint Shri S. K. Rai, Joint Secy. and Legal Adviser to the Government of India, Department of Legal Affairs, Ministry of Law, Justice and Company Affairs as a member of the Shipping Development Fund Committee with immediate effect and make the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Transport & Communications (Department of Transport—Transport Wing) No. S. O. 628 dated 17th March, 1959 namely :—

In the said notification,

for S. No. 5 and entries relating thereto following shall be substituted, namely :—

‘Shri S. K. Rai, Joint Secretary & Legal Adviser to the Government of India, Department of Legal Affairs, Ministry of Law, Justice and Company Affairs.’

[F. No. MSD (67)/78-MD]

B. B. MAHAJAN, Joint Secy.